निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं0 पटना 851) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

17 फरवरी 2016

सं० 3763—**नालंदा जिलान्तर्गत संत आश्रम, राजाकुआं, बिहार शरीफ** बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4217 है।

इस न्यास से संबंधित आवेदन वर्ष 2010 में श्री रामचन्द्र दास द्वारा पर्षद कार्यालय में प्राप्त हुआ। उन्होंने आवेदन के द्वारा न्यास की अव्यवस्था के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया। पर्षद द्वारा आवेदन पर अंकित तथ्यों के आलोक में न्यास का स्थल निरीक्षण करवाया गया। जांच पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में संत बाबा आश्रम, राजा कुआं, बिहार शरीफ, नालंदा को एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास पाया। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने न्यास का निबंधन किये जाने की अनुशंसा की। साथ ही इसकी व्यवस्था हेतु एक न्यास समिति के गठन पर भी बल दिया। दिनांक 12.10.2012 को न्यास के निबंधन का आदेश निर्गत किया गया। न्यास की व्यवस्था हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए पर्षद को आवेदन प्राप्त होता रहा। इसी क्रम में 11.01.2015 एवं 22.03.2015 के आम सभा द्वारा चयनित सदस्यों नाम पर्षद कार्यालय को प्राप्त हुआ। पर्षदीय पत्रांक–660, दिनांक 29.05.2015 द्वारा अंचलाधिकारी, नालंदा से स्वच्छ छवि के 11 हिन्दू सज्जनों का नाम प्रेषित करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। इसके अनुपालन में अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ, नालंदा का पत्रांक– 66, दिनांक 07.01.2016 द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ।

अतः उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **संत आश्रम, राजाकुआं, बिहार शरीफ, नालंदा** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**संत आश्रम न्यास योजना, राजाकुआं, बिहार शरीफ, नालंदा**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**संत आश्रम न्यास समिति, राजाकुआं, बिहार शरीफ, नालंदा**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, तीर्थ–यात्री एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति प्रथम बैठक में आपसी सहमति से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव कर पर्षद से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
    (1) श्री रामउचित पासवान, पिता–स्व0 करमचन्द पासवान, सा0–उपरौरा, था0–बिहार, नालंदा
    (2) श्री राजेश्वर यादव, पिता–स्व0 सोमर यादव, सा0–नकटपुरा, पो0–मुरौरा, था0–बिहार, नालंदा
    (3) श्री रामप्रवेश महतो, पिता–कृष्ण महतो, सा0–विस्कुरवा, पो0–मुरौरा, था0–बिहार, नालंदा
    (4) श्री जागेश्वर यादव पिता–स्व0 जितु यादव, सा0–पतुआना, पो0+था0–बिहार, नालंदा
    (5) श्री कामेश्वर प्रसाद, पिता–स्व0 दुःखी यादव, सा0–ढ़िवरापर, पो0– मोरा तालाब, था0–रहुई, नालंदा
    (6) श्री आनंदी प्रसाद पिता–रामचन्द्र प्रसाद, सा0–ढ़िवरापर, पो0–मोरा तालाब, था0–रहुई, नालंदा
    (7) शिववालक प्रसाद पिता–स्व0 रामलखन प्रसाद, सा0–वासवन विगहा, पो0–बिहार, नालंदा
    (8) श्री रामचन्द्र दास, वल्द स्व0 छोटन प्रसाद, सा0–ढ़िवरापर, पो0–मोरा तालाब, था0–रहुई, नालंदा
    (9) श्री रामविलास यादव पिता–स्व0 महावीर यादव, सा0–वासवन विगहा, पो0–बिहार, नालंदा
    (10) श्री अभिचरण प्रसाद पिता–स्व0 रघुनंदन प्रसाद, सा0–नकटपुरा, पो0–मुरौरा, था0– नालंदा
    (11) श्री अवधेश सिंह पिता– स्व0 कपिल सिंह, सा0–मुरौरा, थाना–बिहार, नालंदा।
13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 851-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in